

No. HQ/PIO/RTI/281/15

Date: 27.08.2015

श्री चरणसिंह,
पुत्र स्व. श्री हंसराम,
पूर्वी रिठानी, मकान न. 650,
(भगवत के मकान के पास),
डा.-परतापुर, जिला- मेरठ,
उ. प्र., पिन-250103।



Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your letter dt. 30.07.2015, received in this office on 03.08.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:-

1. टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
2. टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
3. टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
4. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के लिए जो संरक्षण पूर्व में मोहीउदीनपुर-परतापुर रेलवे स्टेशन-मेरठ सिटी-मेरठ कैंट स्टेशन होते हुए स्वीकृत किया गया था, उसको संशोधित कर नया संरक्षण स्वीकृत किया गया है, जो मेरठ में डीटूर लाइन में होगा।
5. उपरोक्त परियोजना के लिए पूर्व में स्वीकृत संरक्षण के अनुसार अधिग्रहित की गयी भूमि का प्रतिकर नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा वितरित किया जा रहा है। जिन प्रकरणों में स्वामित्व को लेकर वाद जिला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, उनका प्रतिकर न्यायालय के आदेशानुसार वितरण किया जाएगा।


(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to :- CPM/Meerut

